उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-146/2018/2241/92-2-18-11(जॉच)/2015,

लखनऊ:: दिनांक:: 26 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

विधान परिषद स्नातक/शिक्षक निर्वाचन, 2014 तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2014 में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सम्यक निर्वहन न किये जाने तथा निर्वाचन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से अनुमति प्राप्त किये बगैर मुख्यालय से बाहर रहने, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग न करने, लोहिया ग्रामों के कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के निर्देशानुसार भ्रमण कर आख्या न देने एवं बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ देने, तहसील दिवस में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने, लोहिया ग्रामों निर्मित सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन की गुणवत्ता पर समुचित नियन्त्रण न रखने, लोहिया ग्रामों में अधोमानक कार्य कराये जाने एवं विधायक निधि के अन्तर्गत निर्मित कार्यों की गुणवत्ता अत्यन्त खराब पाये जाने व निर्माण कार्यों में शिथिल नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखने के प्रथम द्रष्टया दोषी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2634/92-2014-23जांच/2014, दिनांक 13.08.2014 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलन्दशहर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। निलम्बन की अवधि मे श्री नरेन्द्र कुमार को कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किया गया।

2- कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5176/92-2014-23जांच/2014, दिनांक 19.11.2014 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग सम्प्रति निलम्बित के निलम्बन को समाप्त करते हुए उन्हें सेवा में इस शर्त/प्रतिबन्ध के साथ बहाल किया गया कि उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत चलती रहेगी। इसी मध्य अपचारी अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 30.06.2016 को सेवानिवृत्त हो जाने पर उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.08.2014 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को कार्यालय ज्ञाप संख्या-79/2017/ 579/92-2-17-11जांच/2015, दिनांक 19.05.2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित की गयी।

3- शासन के पत्र संख्या-4326/92-2014-23(जांच)/2014, दिनांक 18.09.2014 एवं पत्र संख्या-5225/92-2014-23(जांच)/2014, दिनांक 21.11.2014 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र तथा अनुपूरक आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी को नियमानुसार जांच कर जांच आख्या निर्धारित समयवाधि मे उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ के द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र तथा अनुपूरक आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार को दिनांक 03.12.2014 एवं दिनांक 22.12.2014 को तामील कराया गया। अपचारी अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार दिनांक 27.06.2015 को कार्यालय जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ में उपस्थित होकर अपना बचाव उत्तर जांच अधिकारी को उपलब्ध कराया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 14.07.2015 द्वारा शासन मे उपलब्ध करायी गयी।

4- जांच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपति कुल-20 आरोपों (अनुपूरक आरोप सहित) में से **आरोप संख्या-3, 5, 6, 7, 9, एवं 12 तथा अनुपूरक आरोप पत्र मे आरोप संख्या-3 को प्रमाणित नहीं पाया**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गया। आरोप संख्या-1, 4, 8, 11 एवं अनुपूरक आरोप पत्र के आरोप संख्या-7 को आंशिक रूप से तथा आरोप संख्या-2, 10, एवं अनुपूरक आरोप पत्र के आरोप संख्या-1, 2, 4, 5, 5अ, 6, व 8 को पूर्ण रूप से प्रमाणित पाये गये। प्रमाणित पाये गये आरोपों का विवरण निम्नवत है:-

आरोप संख्या-1

जिला अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, बुलंदशहर के आदेश संख्या-35/वि0प0 सा0वि0 2014, दिनांक 13-03-2014 द्वारा उ0प्र0 विधान परिषद, मेरठ खण्ड-स्नातक/शिक्षक निर्वाचन-2014 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु श्री नरेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता सेक्टर सं0-16 क्षेत्र डिबाई में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात करते हुये निर्देशित किया गया था कि दिनांक 22-03-2014 को पोलिंग पार्टी की रवानगी के समय रवानगी स्थल पर उपस्थित रहकर अपने-अपने सेक्टर की पोलिंग पार्टियों को रवाना कराना सुनिश्चित करेगे तथा दिनांक 23-03-14 को मतदान के दौरान अपने-अपने सेक्टर में भ्रमण कर मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। उप जिलाधिकारी/जोनल मजिस्ट्रेट, डिबाई जनपद बुलंदशहर, द्वारा सेक्टर संख्या-16 का भ्रमण दिनांक 23-03-2014 को किया गया था, जिनके द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि सेक्टर संख्या-16 का भ्रमण प्रात: 7.30 बजे से 8.00 बजे के मध्य करने पर श्री नरेन्द्र कुमार सेक्टर में उपस्थित नहीं मिले तथा उनके द्वितीय भ्रमण के दौरान मतदेय स्थल संख्या-106 शिक्षक एवं मतदेय स्थल सं0-137 स्नातक पर तैनात पीठासीन अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया कि वे मतदान केन्द्र पर प्रात: 8.30 बजे उपस्थित हुये थे, परन्तु दिनांक 22-03-2014 को पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पर उपस्थित नहीं हुये थे। इस प्रकार श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना भी की गयी है एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, जिस हेतु श्री नरेन्द्र कुमार पूर्णरूपेण दोषी है।

अनुपूरक आरोप संख्या-01

श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार माह 7/2014 में वित्तीय नियमों के प्रतिकूल अंकन रू0 11,79,297.00 (रू0 ग्यारह लाख उन्नासी हजार दो सौ सत्तानवे) के अस्थायी अग्रदाय स्वयं के नाम खोलकर दिनांक 30-07-2014 को समायोजित किये गये, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि (रूपये में)	समायोजन का बाउचर एवं दिनांक
1-	01.07.2014	138893.00	113/30.07.2014
2-	08.07.2014	642651.00	118/30.07.2014
3-	11.07.2014	260516.00	115/30.07.2014
4-	26.07.2014	69350.00	114/30.07.2014
5-	30.07.2014	67887.00	117/30.07.2014
	कुल	**11,79,297.00**	

शासनादेश सं0-ए-2-47/दस-97-10(9)/95 दि0 03.03.1997 के प्रस्तर-18 में प्राविधान है कि पूर्व में खोले गये अस्थायी अग्रदाय का समायोजन कर दूसरा अस्थायी अग्रदाय खोला जाये। परन्तु इनके द्वारा ऐसा न कर विभिन्न तिथियों में पूर्व में खोली गयी अस्थायी अग्रदायों का समायोजन न कर एक ही माह में पांच अस्थायी अग्रदाय खोलकर आहरित की गयी है।

आरोप संख्या-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2014 में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, बुलंदशहर के आदेश संख्या-60/सा0लो0नि0/कार्मिक-2014, दिनांक 18-03-2014 के अंतर्गत 65 विधान सभा क्षेत्र, बुलंदशहर में जोन संख्या-3 में उनको जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुये निर्देशित किया गया था कि जिला पंचायत सभागार कलेक्ट्रेट बुलंदशहर में द्वितीय समीक्षात्मक प्रशिक्षण (ब्रीफिंग) दिनांक 01-04-2014 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है, परन्तु उक्त निर्देशों के बावजूद श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग नही किया गया। प्रशिक्षण में प्रतिभाग न किये जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र कुमार का स्पष्टीकरण जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या-653/एस0टी0-ए0डी0एम0-एफ/निर्वाचन-सै0/जो0मजि0, दि0 03-04-2014 के माध्यम से चाहा गया, परन्तु उनके द्वारा निश्चित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा निर्वाचन कार्यो में उदासीनता एवं लापरवाही बरती गयी है, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गयी है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में निहित प्राविधानों का भी उल्लंघन किया गया है, जिसके लिये श्री नरेन्द्र कुमार दोषी है।

<u>अनुपूरक आरोप संख्या-2</u>

श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा सक्षम अधिकारी से आपूर्ति आदेश न कराकर बाउचर सं0-115 दि0 30.07.2014 के द्वारा अंकन रू0 260516.00 एन0आर0एच0एम0 योजना से संबंधित डी0पी0आर0 बनाने पर आहरित होना दर्शाया है तथा बिना आवंटन प्राप्त किये उक्त धनराशि को एम0पी0 लैडस योजना में व्ययवर्तित किया गया है। इसी प्रकार बाउचर्स सं0-118 दि0 30.07.2014 द्वारा समायोजित धनराशि रू0 642651.00 (रू0 छः लाख बयालिस हजार छः सौ इक्यावन मात्र) एन0आर0एच0एम0 की योजना से संबंधित डी0पी0आर0 बनाने पर आहरित होना दर्शाया गया है। उक्त योजना पूर्व में पैक्सफेड द्वारा संचालित की जा रही थी। सी0बी0आई0 में जांच प्रचलित होने के कारण शासन द्वारा उक्त योजना को पैक्सफेड से हटाते हुये चुनौती के आधार पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। विभाग को एन0आर0एच0एम0 योजना के अंतर्गत आज तक भी कोई धनराशि प्राप्त नही हुयी है तथा डिजाइन इवोलुशन प्रा0लि0 द्वारा विभाग को कोई भी डी0पी0आर0 उपलब्ध नही कराये गये है। बिना आवंटन के उक्त फर्म को रू0 642651.00 का भुगतान डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना एवं क्रिटिकल गैप्स योजनाओं पर व्यय भारित कर, व्ययवर्तित किया है। इस प्रकार उनके द्वारा बिना धनांवटन के एन0आर0एच0एम0 योजना से संबंधित व्यय अंकन रू0 9,03,167.00 (रू0 नौ लाख तीन हजार एक सौ सड़सठ) को अन्य योजनाओं पर भारित कर व्ययवर्तित किया गया है।

<u>आरोप संख्या-4</u>

श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा अपनी आकस्मिक अवकाश संबंधी पत्रावली की नोटशीट संख्या-12 पर जिलाधिकारी-बुलंदशहर को दिनांक रहित आख्या प्रस्तुत की गयी कि शासकीय कार्य से निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय जाना है, जिस हेतु 29-05-2014 की सायं से दिनांक 01-06-2014 की पूर्वान्ह तक मुख्यालय छोडने की अनुमति प्रदान की जाय। श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत उक्त दिनांक रहित पत्र पर जिलाधिकारी, बुलंदशहर द्वारा अपने आदेश दिनांक 30-05-2014 के अंतर्गत श्री नरेन्द्र कुमार को अनुमति इस कारण से प्रदान नहीं की गयी कि पत्रावली अत्यन्त विलम्ब से दि0 29-05-2014 की रात्रि में लगभग 9.30 बजे प्रस्तुत हुई। लखनऊ में क्या शासकीय कार्य है, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नही है। श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा बिना अनुमति/स्वीकृति के ही मुख्यालय छोड़ा गया, जबकि उनका दायित्व था कि वे अनुमति/स्वीकृति के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ते, परन्तु श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा ऐसा न कर बिना अनुमति/स्वीकृति के ही मुख्यालय छोड़ दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि श्री नरेन्द्र कुमार उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आदी है। श्री नरेन्द्र कुमार का यह कृत्य घोर लापरवाही, उदासीनता एवं कर्तव्यों के प्रति असजगता का स्पष्ट घोतक है, जिसके लिये श्री नरेन्द्र कुमार दोषी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुपूरक आरोप संख्या-4

श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा बाउचर सं0-113, 115 एवं 118 दिनांक 30.07.2014 के द्वारा समायोजित धनराशि अंकन रू0 10,42,060.00 (रू0 दस लाख बयालिस हजार साठ) का भुगतान ठेकेदारों को चैक के माध्यम से न कर कैश द्वारा किया गया है। जिस कारण आयकर अधिनियम,1961 के सैक्शन 194 जे0 के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से अंकन रू0 1,04,206.00 (रू0 एक लाख चार हजार दो सौ छः मात्र) की कटौती कर राजकीय कोष में जमा न कर ठेकेदार को नियमों के विरूद्ध सीधे लाभ पहुँचाते हुये शासन को अंकन रू0 104206.00 (रू0 एक लाख चार हजार दो सौ छः मात्र) की शासकीय क्षति पहुंचायी गयी है।

अनुपूरक आरोप संख्या-5

मै0 डिजायन इवोलुशन प्रा0लि0 ने अपने पत्रांक शून्य दिनांक 30.09.2014 द्वारा अंकन रू0 6,42,651.00 (रू0 छः लाख बयालिस हजार छः सौ इक्यावन मात्र) के भुगतान की मांग की है। जबकि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री नरेन्द्र कुमार ने रू0 6,42,651.00 (रू0 छः लाख बयालिस हजार छः सौ इक्यावन मात्र) का भुगतान संबंधित फर्म को बाउचर संख्या 118 दिनांक 30.07.2014 द्वारा दर्शाकर समयोजित किया है इस प्रकार श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से भुगतान दर्शाकर शासकीय धन का गबन किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नियमानुसार संबंधित बिलों की माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टि न कराकर एवं संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा पारित न कराकर अधिशासी अभियन्ता श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा भुगतान की कार्यवाही की गयी है।

अनुपूरक आरोप संख्या-5(अ)

मै0 प्रीनव जी0आई0एस0 टैक्नोलॉजी, प्रा0लि0 ने अपने पत्र दिनांक 30.09.2014 द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के सर्वे का भुगतान अंकन रू0 1,38,893.00 की मांग की है। जबकि तत्का0 अधिशासी अभियंता श्री नरेन्द्र कुमार ने रू0 1,38,893.00 (रू0 एक लाख अड़तीस हजार आठ सौ तिरानवे मात्र) का भुगतान संबंधित फर्म को बाउचर सं0-113 दिनांक 30.07.2014 द्वारा दर्शाकर समायोजित किया है। इस प्रकार श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से भुगतान दर्शाकर शासकीय धन का गबन किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नियमानुसार संबंधित बिलों की माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टि न कराकर एवं संबंधित सहायक अभियंता द्वारा पारित न कराकर अधिशासी अभियन्ता श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा भुगतान की कार्यवाही कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया।

अनुपूरक आरोप संख्या-6

मा0 सांसद निधि/मा0 विधायक निधि योजना के अंतर्गत धनावंटन के अभाव में उनके द्वारा कार्यों पर ऋणात्मक व्यय किया गया जिसमें अंकन रू0 7,06,064.00 की धनराशि का ऋणात्मक व्यय मा0 विधायक निधि के अंतर्गत तथा अंकन रू0 9,22,176.00 की धनराशि का ऋणात्मक व्यय मा0 सांसद निधि के कार्यों पर किया गया है, जो प्राविधिक परीक्षक, सम्परीक्षा प्रकोष्ठ उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा दि0 23 एवं 24.09.2014 को प्रखण्ड के कार्यो के निरीक्षण के समय प्रकाश में आया है। इस प्रकार अंकन रू0 16,28,240.00 (रू0 सोलह लाख अठ्ठाईस हजार दो सौ चालीस मात्र) की धनराशि का ऋणात्मक व्यय श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा किया गया है।

अनुपूरक आरोप संख्या-7

श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा एन0आर0एच0एम0 योजनान्तर्गत जिला महिला चिकित्सालय एवं जिला पुरूष चिकित्सालय बुलंदशहर का भवन निर्माण कार्य एवं संयुक्त चिकित्सालय सिकन्द्राबाद में भवन का निर्माण कार्य के प्रारम्भिक प्राक्कलन मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलंदशहर को भेजे गये थे। उक्त तीनो स्थानों पर भराव की जमीन होने के कारण मिटटी की भार धारण क्षमता कम है। जिला चिकित्सालय बुलंदशहर में राजकीय निर्माण निगम द्वारा अथवा किसी भी अन्य संस्था द्वारा जो भी भवन निर्माण कराया जा रहा है वह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पाईल/राफ्ट फाउन्डेशन पर कराया जा रहा है। श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा पूर्व में प्रारम्भिक प्राक्कलन लोड बियरिंग स्ट्रेक्चर पर तैयार कर भेजे गये थे, जो इनकी लापरवाही एवं उदासीनता को उजागर करता है।

आरोप संख्या-8

जिला पंचायत राज, अधिकारी, बुलंदशहर द्वारा शासन के पत्र संख्या-917/33-3-2014-100, दिनांक 11-06-2014 के क्रम में बजट में प्राप्त धनराशि अंकन 140.19 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत किस्त मुक्त करने हेतु प्रस्तुत आख्या पर जिलाधिकारी, बुलंदशहर द्वारा दिनांक 28-06-2014 को यह पृच्छा की गयी कि आर0ई0एस0 द्वारा अब तक कितना कार्य धनराशि आहरण के सापेक्ष किया जा चुका है तथा गत माह में सभी लोहिया ग्रामों के निरीक्षण में पायी गयी कमियों को दूर करने की क्या स्थिति है स्पष्ट करें, के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी, बुलंदशहर द्वारा पत्र संख्या-1868/पं0/सी0सी0रोड/2014-15, दि0 02-07-2014 के अंतर्गत उनसे वर्ष 2012-13 के लिये चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण के लिये उपलब्ध करायी गयी धनराशि अंकन 600.00 लाख रू0 व वर्ष 2013-14 के लिये उपलब्ध करायी गयी धनराशि अंकन 246.75 लाख रू0 के सापेक्ष ग्रामवार कराये गये कार्यो का विवरण एवं गत माह में सभी लोहिया ग्रामों के निरीक्षण में पायी गयी कमियों के निराकरण की स्थिति से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी, परन्तु मुख्य विकास अधिकारी, बुलंदशहर की आख्या दि0 17-07-2014 के अनुसार उनके द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है, जिससे उनकी कदाश्यता परिलक्षित होती है और वे पूर्ण रूप से दोषी हैं।

अनुपूरक आरोप संख्या-8

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर-172 में निहित प्राविधान के विपरीत सहायक अभियंता के स्थान पर अधिशासी अभियन्ता श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा अपने नाम अंकन रू0 1,19,346.00 (रू0 एक लाख उन्नीस हजार तीन सौ छियालिस मात्र) का अस्थाई अग्रदाय खोला गया। शासनादेश सं0-ए-2-47-दस/97-10(9)/95 दि0 03.03.1997 के प्रस्तर-18 में प्राविधान है कि पूर्व में खोले गये अस्थाई अग्रदाय का समायोजन करने के उपरान्त ही दूसरा अस्थायी अग्रदाय खोला जाये। परन्तु श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा ऐसा न कर विभिन्न तिथियों में पूर्व में खोली गयी अस्थाई अग्रदायों का समायोजन न कर एक ही माह में पांच अस्थायी अग्रदाय खोलकर आहरित की गयी है।

आरोप संख्या-10

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड/ के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य उनके द्वारा कराया जा रहा था। ग्रामों के सत्यापन के समय ग्रामवासियों द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार न होने एवं पानी निकासी हेतु नाली का ढलान ठीक प्रकार से न होने की शिकायतें जिलाधिकारी, बुलंदशहर को प्राप्त होने पर उनके द्वारा कार्यालय आदेश संख्या-113/एसटी-डीएम/2014, दिनांक 30-06-2014 के अंतर्गत लोहिया ग्रामों में कराये जा रहे निर्माण कार्य की जांच हेतु अपर जिलाधिकारी-वि/रा बुलंदशहर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। समिति द्वारा ग्राम सतवरा, अकबरपुर, विकास खण्ड-दानपुर, ग्राम सिकन्दराबाद देहता व सराय जगन्नाथ विकास खण्ड सिकन्दराबाद व ग्राम सालवाहनपुर तथा त्यौर बुजुर्ग विकास खण्ड-पहासू का निरीक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया गया। निरीक्षण के समय श्री नरेन्द्र कुमार को भी अभिलेखों सहित उपस्थित होने के निर्देश समिति के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी-वि/रा बुलंदशहर द्वारा दिये गये थे, परन्तु निरीक्षण के समय अधिशासी अभियन्ता श्री नरेन्द्र कुमार उपस्थित नही हुए और अपने सहायकों को निरीक्षण में भेजा गया, जबकि निरीक्षण के समय श्री नरेन्द्र कुमार का उपस्थित रहना अनिवार्य था। समिति द्वारा किये गये जांच/सत्यापन में पाया गया कि ग्राम सतवरा विकास खण्ड-दानपुर में निर्मित सी0सी0 रोड पर क्रैक्स डेवलप हो गये है, सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन के बीच ज्वाइंट ठीक प्रकार से नहीं लगाये गये है, नाली क्षतिग्रस्त है, यू0टाइप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ड्रेन सी0सी0 रोड को क्रास कर रही है वहां पर चैनल नहीं लगवाये गये है, जिससे कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। गली नं0-6 में पुष्पेन्द्र शर्मा के घर के सामने यू-टाइप ड्रेन के किनारे की सी0सी0 रोड के नीचे एल0सी0 निकल गयी है। इसी गांव के मजरे सतवरी में मंदिर के सामने बनायी गयी सी0सी0 रोड नीची है, जिससे रोड पर पानी भरा रहता है, नाली का स्लोब ठीक प्रकार से नहीं बनाया गया है। ग्राम अकबरपुर विकास खण्ड-दानपुर में अम्बेडकर की प्रतिमा से रोशन के घर तक निर्मित सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन में क्रैक्स, राजकुमार के घर से बुढढा बाबू के घर तक मार्ग पर दोनो ओर के0सी0 ड्रेन का प्लास्टर उखड़ गया है, जमील खान के घर से चौक तक बनी के0सी0 ड्रेन व रोड पर क्रैक्स है, यू0-टाइप ड्रेन सी0सी0 रोड को क्रास करने के स्थल पर चैनल नही लगवाये गये है। इसी प्रकार की कमियां ग्राम सिकन्द्राबाद देहात, सराय जगन्नाथ विकास खण्ड-सिकन्द्राबाद में पायी गयी है तथा ग्राम सालवाहनपुर विकास खण्ड-पहासू में गली सं0-2, 3 व 4 में टाप लेयर में सीमेंट कंक्रीट की टेक्सचर पूर्णतः संतोषजनक नही है। गली नं0-6 में क्रैक्स हैं। बनायी गयी समस्त गलियों का पानी ग्राम के खण्डजे पर आ रहा है। ग्राम त्यौर बुजुर्ग विकास खण्ड-पहासू में गली नं0-3 जो कि श्री भीकम सिंह के मकान के सामने सी0सी0 रोड पर क्रैक्स है। इस प्रकार श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजनान्तर्गत मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य नही कराया गया है, जिससे राजकीय धनराशि का दुरूपयोग हुआ है। वहीं दूसरी ओर श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के प्रति गम्भीर एवं सजग नही है और शासनादेशों का उल्लंघन करने के भी प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं, जो उनकी घोर लापरवाही, उदासीनता एवं कर्तव्यहीनता का परिचायक है।

<u>आरोप संख्या-11</u>

दिनांक 01-07-2014 को तहसील अनूपशहर व दिनांक 15-7-2014 को जिलाधिकारी, बुलंदशहर द्वारा तहसील डिबाई में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। उक्त तहसील दिवस में अधिशासी अभियन्ता श्री नरेन्द्र कुमार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। शासनादेश संख्या-609/1-4-12-111बी-4/2012, दिनांक 06-5-2012 में स्पष्ट निर्देश है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले तहसील दिवस में जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेगें तथा तहसील दिवस में संबंधित प्राप्त शिकायत का निस्तारण यथासंभव उसी दिन कराना सुनिश्चित करेगें, परन्तु श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा तहसील दिवस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं किया गया, जिस कारण तहसील दिवस में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायतों का निस्तारण नही हो सका। श्री नरेन्द्र कुमार की अनुपस्थिति के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या-156/एस0टी0-डी0एम0/2014 दिनांक 17-7-2014 के माध्यम से उनका स्पष्टीकरण 02 दिवस में चाहा गया, परन्तु श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा निश्चित अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार वे शासनादेशों का उल्लंघन करने तथा घोर लापरवाही, उदासीनता बरतने के दोषी है।

5- जांच अधिकारी की जांच आख्या मे प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 24.07.2015 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/अभिकथन मांगा गया। अपचारी अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार का अभ्यावेदन/अभिकथन निर्धारित समयावधि में न प्राप्त होने पर शासन के पत्र दिनांक 12.08.2015, दिनांक 14.10.2015, दिनांक 28.10.2015 एवं 02.12.2015 द्वारा उन्हें अनुस्मरण भी कराया गया। अपचारी अधिकारी का पत्र दिनांक 16.11.2015, जो शासन में दिनांक 08.12.2015 को प्राप्त हुआ द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया।

6- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध मे अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन के परीक्षणोपरान्त अनुपूरक आरोप पत्र में शासकीय क्षति तथा ऋणात्मक व्यय से संबंधित कतिपय आरोप सिद्ध पाये गये। शासकीय क्षति के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 12.02.2016 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से आख्या/ सूचना मांगी गयी, जो उनके पत्र दिनांक 07.04.2017 द्वारा शासन में प्राप्त हुई। निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता की आख्या में शासकीय क्षति रू0 11,79,297.00 के सापेक्ष अपचारी अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार से रू0 1,19,346.00 की वसूली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होने तथा रू0 10,59,951.00 की वसूली शेष रहने और इसके अतिरिक्त ऋणात्मक व्यय की राशि रू0 16,28,240.00 के सापेक्ष रू0 9,60,945.00 का समयोजन होने तथा रू0 6,67,295.00 का समयोजन शेष रहने की सूचना उपलब्ध करायी गयी। अतएव समस्त संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार कुल रू0 17,27,246.00/- (शासकीय क्षति + ऋणात्मक व्यय रू0 (10,59,951.00 + 6,67,295.00) की शासकीय क्षति कारित किये जाने हेतु उत्तरदायी हैं। तत्क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति (शासकीय क्षति + ऋणात्मक व्यय रू0 (10,59,951.00 + 6,67,295.00) कुल रू0 17,27,246.00/- की वसूली श्री नरेन्द्र कुमार के सेवानैवृत्तिक देयकों तथा यदि सेवानैवृत्तिक देयकों से वसूली संभव न हो तो सिविल लायॅल्टी के अन्तर्गत वाद दायर करके वसूली किये जाने के विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 29.05.2017 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। जिसके अनुक्रम में मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद ने अपने पत्र दिनांक 05.10.2017 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में शासन से प्राप्त समस्त अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त निम्न सहमति प्रदान की है-

''सिद्ध पाये गये सभी आरोप प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने, वित्तीय अनियमितता एवं कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता से संबंधित हैं। पुष्ट आरोपों के प्रकार एवं प्रकरण में अपचारी अधिकारी द्वारा कारित की गयी शासकीय क्षति+ऋणात्मक व्यय की धनराशि की केवल वसूली किए जाने से, दण्ड की पूर्ति/मंशा पूरी न होने पाने के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रस्तावित दण्ड अनानुपातिक है। अतः शासन द्वारा प्रस्तावित दण्ड शासकीय क्षति + ऋणात्मक व्यय रू0 (10,59,951.00 + 6,67,295.00) कुल रू0 17,27,246.00/- की वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों तथा यदि सेवानैवृत्तिक देयकों से वसूली संभव न हो तो सिविल लायॅल्टी के अन्तर्गत वाद दाखिल करके वसूली किये जाने में आंशिक संशोधन करते हुए 'शासकीय क्षति रू0 10,59,951.00 की वसूली ब्याज सहित (शासकीय नियमानुसार निर्धारित ब्याज दर पर) तथा ऋणात्मक व्यय, जिसका समायोजन नहीं किया जा सका है रू0 6,67,295.00 की वसूली, उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से तथा यदि सेवानैवृत्तिक देयकों से वसूली संभव न हो तो सिविल लायॅल्टी के अन्तर्गत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली किया जाना' उचित पाया है।''

7- मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद के उक्त संवीक्षण/परामर्श दिनांक 05.10.2017 पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त पाया गया कि किसी कर्मचारी से दण्ड स्वरूप वसूली किये जाने के संबंध में ब्याज दर के संदर्भ में कोई शासनादेश वित्त विभाग से प्राप्त नही हो सका। उक्त के साथ ही उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-3 में उल्लिखित शास्तियों में भी आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णत या अंशतः वेतन से वसूल किये जाने की ही मात्र व्यवस्था है। उक्त नियमों/शासनादेशों के इतर दण्डादेश निर्गत किया जाना कदाचित नियमों से विचलन होगा। वर्णित स्थिति के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 26.03.2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-3 में उल्लिखित व्यवस्था तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों में शासकीय क्षति की वसूली के ब्याज दर के संबंध मे कोई उल्लेख न किये जाने को संज्ञान में रखते हुए प्रश्नगत प्रकरण में श्री नरेन्द्र कुमार के विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति पर ब्याज दर के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने अथवा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद के पूर्व पत्र दिनांक 05.10.2017 में दिये गये अभिमत/सहमति पर पुर्नविचार किये जाने का अनुरोध मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से किया गया। तत्क्रम में मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद ने अपने पत्र दिनांक 21.08.2018 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक रूप से पुनर्विचार कर प्रस्तावित धनराशि की वसूली हेतु शासन द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित दण्ड पर सहमति प्रदान की है-

"शासकीय क्षति + ऋणात्मक व्यय रू0 (10,59,951.00 + 6,67,295.00) कुल रू0 17,27,246.00/- की वसूली अपचारी अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार के सेवानैवृत्तिक देयकों से तथा यदि सेवानैवृत्तिक देयकों से वसूली संभव न होने पर सिविल लायॅवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली की जाय।"

8- अतएव उक्त वर्णित समस्त तथ्यों के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2634/92-2014-23जांच/2014, दिनांक 13.08.2014 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बुलन्दशहर के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-79/2017/579/92-2-17-11जांच/2015, दिनांक 19.05.2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया में उन्हें निम्नवत् दण्ड देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

"शासकीय क्षति + ऋणात्मक व्यय रू0 (10,59,951.00 + 6,67,295.00) कुल रू0 17,27,246.00/- की वसूली अपचारी अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार के सेवानैवृत्तिक देयकों से तथा यदि सेवानैवृत्तिक देयकों से वसूली संभव न होने पर सिविल लायॅवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली की जाय।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-146/2018/2241(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री नरेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलन्दशहर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-64(1)/3/ए0डी0सी0/एस-12/17-18, दिनांक 21.08.2018।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।